10 स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तब ही किया जायगा ... देकर
सुनिश्चित कर उस कब्जा प्राप्त हो जाय। यदि कब्जा नही प्राप्त होता है तो उसकी सूचना शासन को
समस्त धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

11. व्यय जनपदवार आवंटित प्लान आउटले के विपरित अनुमोदित योजनाओं पर ही किया जायेगा।

12. यदि उक्त कार्यो में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

13. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक– 31.03.2007 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय।

14. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त विवरण प्रस्तुत करने के बाद ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

15. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

16. इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006–07 के आय व्ययक में समाज कल्याण विभाग के अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय –04 जिला तथा अन्य सड़के– आयोजनागत–800–अन्य व्यय–02 अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान–02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

17. यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–यू.ओ.–1925/XXVII/(2)/06 दिनांक 07 दिसम्बर, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः – 30 कार्यों की सूची।

भवदीय,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

संख्या– 3318 (1)/III–2/06 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम) ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
3. आयुक्त गढ़वाल/कुमांयू मण्डल नैनीताल/पौड़ी।
4. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तरांचल।
5. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमांयू क्षेत्र लो०नि०वि०, अल्मोड़ा/पौड़ी।
6. [illegible] देहरादून।
7. [illegible] उत्तरांचल शासन।
8. [illegible]
9. लोक निर्माण अनुभाग [illegible]
10. गार्ड फाइल।

P/C attested.

A.E.

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

P.C. attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
बड़कोट (उत्तरकाशी)

P/C attested.

सहायक अभियन्ता – II
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
बड़कोट (उत्तरकाशी)